प्रेषक,
आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
मुख्य विकास अधिकारी
इटावा

पत्रॉकः–जीओ–584/सम्पेक्षा/महा0मा0स0आ0/2010–11 दिनांक 8 मार्च–2011

विषयः महामाया सर्वजन आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 के लिये वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–201/38–4–10–4–बजट/2009, दिनांक 15–2–2011 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा महामाया सर्वजन आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये अनुदान संख्या–13 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 90.00 करोड़ में से रु0 2250.00 लाख (रूपये बाईस करोड़ पचास लाख मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि में से रु0 30.60 लाख (रूपये तीस लाख साठ हजार मात्र) निम्नलिखित तालिका के कालम–3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार उक्त सन्दर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :–

क्र0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि– लाख रु0 में	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	इटावा	30.60	168.96

(रूपये तीस लाख साठ हजार मात्र)

1– आवंटित की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

2– आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही किया जायेगा।

3– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु वित्त मैनुवल में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में न रखा जाय।

4– आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे समयान्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

5–उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि दो किश्तों में आहरित की जाएगी जिसमें प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात दूसरी किश्त आहरति की जाएगी ।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–"2515–अन्य ग्राम विकास–कार्यक्रम–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–महामाया सर्वजन आवास योजना–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

Shiv_Iay 2010.doc

7— आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8— उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनगत के पृष्ठ—177 पर कर ली गयी है।

भवदीय,

8/3/11

(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉकः—जीओ—504/सम्प्रेक्षा/महा0मा0स0आ0/2010—11 उक्त तिथि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3— सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
4— जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, इटावा उ0प्र0।
5— परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, इटावा उ0प्र0।
6— वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2/ राज्य योजना आयोग—2 नियोजन अनुभाग—4
7— ग्राम्य विकास अनुभाग—3
8— संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग—4 को उनके पत्रांक—201/38—4—10—4—बजट/2009, दिनांक 15—2—2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

Shiv_Iay 2010.doc